(121)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4214–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–11–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 88/15–16/अपील.

———

खलील खां पुत्र अब्दुल अजीज खां
निवासी ग्राम गतारी
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– बशीर खां
2– हफीज खां पुत्रगण अब्दुल अजीज
3– रमजान खां पुत्र अब्दुल अजीज खां (फौत)
श्रीमती साबरा बेवा स्व. रमजान खां
शकील खां, सईद खां, इमरान खां
पुत्रगण रमजान खां
सुल्ताना पुत्री रमजान खां
4– जाफरी पुत्री अब्दुल अजीज खां
निवासी ग्राम गतारी
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

———

श्री पी.एन. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री लखन सिंह धाकड़,, अभिभाषक, अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त "अ" पिछोर तहसील डबरा के समक्ष वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 214 खाते का नम्बर 7/1 रकबा 1.048 हेक्टेयर पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11–/2011–12/अ–6 दर्ज कर दिनांक 10–4–2012 को आदेश पारित कर वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–11–15 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक वसीयतकर्ता अब्दुल अजीज खां के समस्त वैध वारिसान बशीर खां, हफीज खां, रमजान खां उर्फ मुन्ना, खलील खां पुत्रगण अब्दुल अजीज खां एवं जाफरी पुत्री अब्दुल अजीज खां के नाम समान भाग पर नामांतरण स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–11–16 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतनामा के साक्षी अनावेदकगण बशीर खां, हफीज खां, रमजान खां एवं जाफरी को विधिवत आहूत किया गया है और वसीयतनामा के साक्षियों, जो कि वसीयतकर्ता के पुत्र/पुत्री हैं, के द्वारा तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को प्रमाणित किया है तथा तहसील न्यायालय में अपने कथन भी अंकित कराये गये हैं, जिसका उल्लेख तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 3–4–2012 में किया गया है । अधीनस्थ अपीलय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका का अवलोकन किये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि इश्तहार का प्रकाशन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वह सभी हितबद्ध व्यक्तियों के लिए होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह औचित्यहीन है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में मूल वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया था, जिसका अवलोकन कर तहसील न्यायालय द्वारा मूल वसीयतनामा आवेदक को वापिस की गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये हैं, जो कि वास्तविक तथ्यों एवं अभिलेख के विपरीत होकर न्याय प्रकिया को दूषित करने वाला है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण सूचना उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए

हैं और न ही उनके द्वारा अपील का खण्डन किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा में सहमति दी गई है, फिर भी उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि कानूनन सही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की सहमति देने पर सहमतिकर्ता साक्ष्य अधिनियम के विबंध के सिद्धान्त से बाधित हो जाता है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य ही नहीं थी, जिस पर बिना विचार किये अपील स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त कर, तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है, इसलिए आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण भूमिस्वामी अब्दुल अजीज के पुत्र/पुत्री होने से उनको भी अपने पिता की मृत्यु उपरांत, उनकी सम्पत्ति पर हक व अधिकार प्राप्त है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक आदेश पारित कर अनावेदकगण को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत निष्कर्ष निकालते आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस आधार पर कहा गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा मूल वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही नायब तहसीलदार द्वारा मूल वसीयतनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में वसीयतनामा प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है । तहसील न्यायालय द्वारा सभी वारिसान को सूचना व सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है, जबकि सभी वारिसान को सुने बिना वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही की जाना वैधानिक

दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयतनामा में उल्लिखित भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक वसीयतकर्ता के सभी वैध वारिसान के नाम समान भाग पर नामान्तरण स्वीकार किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा भी वसीयतनामा को संदिग्ध मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर